न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 13/2016/225 आर टी ए

1. शिशपाल पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. प्रहलादसिंह पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. देवीलाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–– असल रेस्पोडेंटस

3. चिडिया देवी पत्नि स्व. भूपसिंह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. भवरलाल पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. विमला पुत्री देवीलाल पत्नि ओमप्रकाश पुत्र प्रेमाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. पार्वती पुत्री देवीलाल पत्नि कृष्णलाल पुत्र प्रेमाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. कमला पुत्री भूपसिंह पत्नि दलीप पुत्र रामकिशन जाति जाट गोदारा निवासी थालड़का तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. कलावती पुत्री भूपसिंह पत्नि महावीर जाति जाट निवासी चारणवाली तहसील नोहर।

––तरतीबी रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 31.03.2008 न्यायालय उपखण्डाधिकारी नोहर
प्र0सं0 88/2006 अनवानी प्रहलादसिंह बनाम देवीलाल आदि

उपस्थित :–
श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता अपीलांटस
श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

निर्णय दिनांकः–11.04.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए पेश कर इसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया कर खाता सं. 22 मे दर्ज 18 बीघा यानि 4.5527 है0 मे 1/4, रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता सं. 5 मे दर्ज 30 बीघा यानि 7.5879 है0, चक 19 एनटीआर के खाता सं. 45 मे दर्ज 14 बीघा यानि 3.542 है0, चक 23 एनटीआर के खाता सं. 68 मे दर्ज 15 बीघा यानि 3.7939 है0, रोही मौजा चक 17 एनटीआर तहसील नोहर जो कि इन्द्राज पुत्र मुखराम की खातेदारी भूमि है, इन्द्राज की भूमि के उपरांत उक्त भूमि देवीलाल व भूपसिंह पर औद हो गयी, जिसके संबंध मे रहन, बैय एवं मुन्तकिल नही करने का अनुतोष चाहा गया। उपरोक्त प्रार्थना पत्र मे दिनांक 08.11.06

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को जारी एक तरफा स्थगन आदेश को दिनांक 31.03.08 को उक्त जारी स्थगन आदेश को कन्फर्म कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय कतई गलत एवं न्यायिक सिद्धांतो के विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है। रेस्पो0 सं. 1 व 2 आपस मे पिता पुत्र है तथा रेस्पो0 ने अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र मे ना तो अपीलांट के पिता को पक्षकार बनाया तथा ना ही अपीलांट को चूंकि विवादित भूमि संयुक्त परिवार की है। जिसमे अपीलांट का भी हिस्सा है जिन्हे पक्षकार ही नही बनाया तथा समस्त भूमि पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया तथा विचारण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण भूमि पर स्थगन जारी कर कानूनी भूल की है। रेस्पो0 सं. 1 ने वाद मे तो अपीलांट के पिता को पक्षकार बना लिया मगर स्थगन प्रार्थना पत्र मे मात्र अपने पिता को पक्षकार बनाकर सम्पूर्ण भूमि मे स्थगन ले लिया जबकि रेस्पो0सं. 2 का वादग्रस्त भूमि मे मात्र 1/2 हिस्सा ही है। रेस्पो0 सं. 1 के द्वारा प्रस्तुत वाद अपने पिता रेस्पो0 सं. 2 के विरूद्ध था तथा स्थगन आदेश 1/2 हिस्सा तक ही करना चाहिए था मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त भूमि पर स्थगन जारी कर दिया गया।निर्णय दिनांक 31.03.08 जो कि निर्णय की परिभाषा मे नही आता है। चूंकि दिनांक 08.11.06 को एक तरफा स्थाई निषेधाज्ञा जारी की थी, उसी को ताफैसला दावा स्वीकार किया गया है जबकि दिनांक 08.11.06 को कोई निर्णय ही पारित नही किया गया था। चूंकि उक्त प्रार्थना पत्र मे ना तो अपीलांट के पिता को पक्षकार बनाया गया था तथा ना ही अपीलांट को पक्षकार बनाया गया है अब अपीलांट उक्त अपील बतौर तृतीय पक्षकार प्रस्तुत कर रहा है। उक्त अपील मे मात्र रेस्पो0 सं. 1 ने अपने पिता के विरूद्ध प्रस्तुत की थी जिसका ज्ञान नही था तथा अपीलांट के पिता का भी देहान्त हो चुका है तथा ना ही आजतक कोई सम्मन अपीलांट को प्राप्त हुआ है। अब दिनांक 03.04.16 को अपीलांट अपनी भूमि पर ऋण लेने के लिए पटवारी हल्का से मिला तथा जमाबंदी की मांग की तो पता चला कि उक्त भूमि पर पूर्व मे ही स्थगन आदेश है। उसके पश्चात स्थगन की नकल प्राप्त करते हुए अपील ज्ञान से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर दिनांक 08.11.06 व दिनांक 31.03.08 को जारी आदेश रेस्पो0 सं. 2 के हिस्से की भूमि के अलावा निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए पेश कर इसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया कर खाता सं. 22 मे दर्ज 18 बीघा यानि 4.5527 है0 मे 1/4, रोही मौजा चक 17

एनटीआर के खाता सं. 5 मे दर्ज 30 बीघा यानि 7.5879 है0, चक 19 एनटीआर के खाता सं. 45 मे दर्ज 14 बीघा यानि 3.542 है0, चक 23 एनटीआर के खाता सं. 68 मे दर्ज 15 बीघा यानि 3.7939 है0, रोही मौजा चक 17 एनटीआर तहसील नोहर जो कि इन्द्राज पुत्र मुखराम की खातेदारी भूमि है, इन्द्राज की भूमि के उपरांत उक्त भूमि देवीलाल व भूपसिंह पर औद हो गयी, जिसके संबंध मे रहन, बैय एवं मुन्तकिल नही करने का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.11.06 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई और दिनांक 31.03.08 को उक्त प्रार्थना पत्र मे दिनांक 08.11.06 को जारी एक तरफा स्थगन आदेश को ताफैसला वाद कन्फर्म किया गया है जो सही है। अतः अपील अपील खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा यह उक्त अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्ट पक्षकार नही था इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी विधि सम्मत होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया कर खाता सं. 22 मे दर्ज 18 बीघा यानि 4.5527 है0 मे 1/4, रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता सं. 5 मे दर्ज 30 बीघा यानि 7.5879 है0, चक 19 एनटीआर के खाता सं. 45 मे दर्ज 14 बीघा यानि 3.542 है0, चक 23 एनटीआर के खाता सं. 68 मे दर्ज 15 बीघा यानि 3.7939 है0, रोही मौजा चक 17 एनटीआर तहसील नोहर जो कि इन्द्राज पुत्र मुखराम की खातेदारी भूमि है, इन्द्राज की भूमि के उपरांत उक्त भूमि देवीलाल व भूपसिंह पर औद हो गयी, जिसके संबंध मे रहन, बैय एवं मुन्तकिल नही करने का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.11.06 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई और दिनांक 31.03.08 को उक्त प्रार्थना पत्र मे दिनांक 08.11.06 को जारी एक तरफा स्थगन आदेश को ताफैसला वाद कन्फर्म किया गया है। जबकि रेस्पो0 सं. 1/प्रार्थी का मुख्य अनुतोष रेस्पो0 सं. 2/अप्रार्थी देवीलाल के विरूद्ध चाहा गया है और रेस्पो0 सं. 2 का संयुक्त खाते मे दर्ज वादग्रस्त भूमि मे 1/2 हिस्सा है, शेष 1/2 हिस्सा अपीलांट के पिता भूपसिंह का है जिसे उक्त प्रार्थना पत्र मे पक्षकार नही बनाया गया तथा भूपसिंह की मृत्यु हो चुकी है, इसके पश्चात उसके जायज वारिसान को भी पक्षकार नही बनाया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 सं. 1/प्रार्थी के पिता देवीलाल के नाम दर्ज

1/2 हिस्सा तक ही स्थगन आदेश पारित किया जाना चाहिए था। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण भूमि पर स्थगन आदेश जारी करते हुए अपीलाधीन आदेश के जरिये उक्त स्थगन आदेश को ताफैसला वाद कन्फर्म कर दिया गया। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीला आदेश मे संशोधित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर दिनांक 08.11.06 व अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2008 रेस्पो0 सं. 2 के हिस्से तक (वादग्रस्त भूमि मे 1/2 हिस्से तक) स्थगन आदेश यथावत रखा जाता है तथा शेष (अपीलांट के पिता भूपसिंह के 1/2 हिस्से तक) दिनांक 08.11.06 व आदेश दिनांक 31.03.08 को आदेश अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official